

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

क्रमांक: प.9(ड)()समिति गठन/डीएलबी/24/2359

दिनांक 30/07/2024


आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 55 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम कोटा-दक्षिण में विभागीय आदेश क्रमांक 2301-2331 दिनांक 19.07.2024 द्वारा मेला एवं अन्य उत्सव आयोजन समिति का पुर्नगठन किया गया है।

अतः उक्त मेला एवं अन्य उत्सव आयोजन समिति में अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम कोटा-दक्षिण को सदस्य सचिव के रूप में एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुरेश कुमार ओला)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.9(ड)()समिति गठन/डीएलबी/24/2360-20

दिनांक 30/07/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, कोटा/जिला कलक्टर कोटा।
5. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
8. प्राग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
9. अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य मेला एवं अन्य उत्सव आयोजन समिति।
10. सुरक्षित पत्रावली।


निदेशक एवं संयुक्त सचिव